जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र/जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

मासिक आख्या दिसम्बर, 2022

संख्या– मैंमो–तेरह–आ.प्र./मासिक आख्या/2021 **दिनांक – 01 जनवरी, 2023**

जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बेघर/गरीब व्यक्तियों आदि जरूरतमंदों को शीत लहर में ठण्ड से बचाव हेतु जिलाधिकारी महोदय, आपदा प्रबन्धन अधिकारी एंव क्यू0आर0टी0 टीम के द्वारा कम्बल वितरित की गयी।

क्र.सं.	तहसील/आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा वितरित कम्बल	वितरण कम्बल
1	आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।	70
2	तहसील, भटवाड़ी।	55
3	तहसील, डुण्ड़ा।	65
4	तहसील, चिन्यालीसौड़।	70
5	तहसील, बड़कोट।	121
6	तहसील, पुरोला।	45
7	तहसील, मोरी।	52
8	उप तहसील जोशियाड़ा।	55
9	उप तहसील धौन्तरी।	30
	योग–	**563**

शीतलहरी से बचाव हेतु जनपद के विभिन्न सावर्जनिक स्थानों पर अलाव जलाये गये है। जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा जलाये जा रहे अलाव की दैनिक आख्या फोटो सहित प्राप्त कर निगरानी की गयी है।

क्र. सं.	तहसील/नगर पालिका का नाम	अलाव जलाये गये स्थल	कुल संख्या
01	भटवाड़ी	भटवाड़ी बाजार, हर्षिल, मुखवा मन्दिर परिषद, सुक्की, झाला, लाटा, गंगनानी, भटवाड़ी गंगोत्री, चडेथी टैक्सी स्टैण्ड, व मनेरी।	11
02	डुण्ड़ा	डुण्डा बाजार बीरपुर, धरासू बैण्ड़, देवीधार, ब्रह्मखाल।	05
03	चिन्यालीसौड़	पीपलमण्ड़ी, जोगतरोड़ चिन्यालीसौड़, नागणी ,बड़ेथी, बनचौरा, देवीसौड़।	07
04	बड़कोट	खरसाली मन्दिर चौक एवं स्यानाचट्टी, खरादी, सारीगाड़, डामटा एवं वर्नीगाड़, गडोली, राजगढ़ी	08
05	पुरोला	बस स्टैण्ड़ पुरोला, मोरी रोड़ नेगी टॉवर, कुमोला रोड़ सिंचाई विभाग।	03
06	मोरी	मोरी मैन बाजार, तहसील मोरी, टिकोची, नैटवाड़, सांकरी।	05
07	जोशियाड़ा	किशनपुर, साल्ड, मुस्टिकसौड, साल्ड़, कोटियालगांव, संगमचट्टी, थलन, नेताला, मानपुर।	09
08	धौन्तरी	धौन्तरी बाजार, राथलधार।	02
09	नगर पालिका बाड़ाहाट, उत्तरकाशी।	भैरव चौक, विश्वनाथ चौक, हनुमान चौक, बस स्टैण्ड, गोस्वामी स्कूल, सांई मन्दिर, गैस गोदाम, पल्या ज्ञानसू, टैक्सी स्टैण्ड पाण्डुली, हरिओम होटल, तिलोथ पुल, तिलोथ बैण्ड़,	12
10	नगर पालिका चिन्यालीसौड़।	वार्ड नं0 05–चिन्यालीसौड़ मुख्य बाजार, जोगतरोड़ तिराहे, वार्ड नं0 04–पीपलमण्डी, पोस्ट ऑफिस के सामने तिराहे, वार्ड नं0–03 सूलीठांग मुख्य बाजार, वार्ड नं0–06 नागणी मुख्य बाजार, वार्ड नं0–7 ऑलवैदर रोड, राजेश्वरी मन्दिर, बनचौरा रोड़ मुख्य बाजार	10
11	नगर पालिका बड़कोट।	बस स्टेण्ड, टैक्सी स्टैण्ड, रामलिला मैदान बड़कोट	03
12	नगर पंचायत नौगांव।	मुख्य चौराहा नौगांव बाजार, बड़कोट रोड़	02
13	नगर पंचायत पुरोला	मुख्य बाजार थाना पुरोला, कुमोलारोड़ के पास	02
योग			**79**

शीत लहरी के बचाव हेतु अलाव/कम्बल आदि आवश्यक व्यवस्था हेतु एस0डी0आर0एफ0 मद से तहसीलवार धनराशि वितरित की गयी–

क्र.सं.	तहसील व उप तहसील का नाम	धनराशि का विवरण
1	तहसील, भटवाड़ी।	40,000.00
2	तहसील, डुण्ड़ा।	40,000.00
3	तहसील, चिन्यालीसौड़।	40,000.00
4	तहसील, बड़कोट।	40,000.00
5	तहसील, पुरोला।	40,000.00
6	तहसील, मोरी।	40,000.00
7	उप तहसील जोशियाड़ा।	30,000.00
8	उप तहसील धौन्तरी।	30,000.00
	कुल धनराशि–	**3,00,.000.00**

शीतऋतु में शीतलहरी एवं बर्फवारी से सुरक्षा हेतु रैन बसेरों की व्यवस्था की गयी । जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा जनपद में नगर पालिका/नगर पंचायत से समन्वय कर रैन बसेरों मे बिजली, पानी, बिस्तर, आदि की समुचित व्यवस्था करवायी गयी। उक्त रेन बसेरों में साफ–सफाई आदि व्यवस्था हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत से निरन्तर समन्वय किया गया।

क्र. सं.	नगर पालिका/ नगर पंचायत का नाम	तैयार किये गये रैन बसेरे कक्ष की संख्या	रैन बसेरे में रूकने की संख्या
1	नगर पालिका बाड़ाहाट, उत्तरकाशी।	01 हॉल	10 व्यक्ति
2	नगर पालिका चिन्यालीसौड़।	01 कमरा	04 व्यक्ति
3	नगर पालिका बड़कोट।	01 हॉल	30 व्यक्ति
4	नगर पंचायत नौगांव।	01 कमरा	03 व्यक्ति
5	नगर पंचायत पुरोला	01 हॉल	10 व्यक्ति
योग		05	57

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी में दिनांक 03.12.2022 एंव 14.12.2022 तक द्वितीय आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कलैण्डर के अनुसार सफलतापूर्वक सम्पादित किया गया है। जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा शासन के निर्देशानुसार उक्त प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया गया। आपदा प्रबन्धन अधिकारी एंव सहा0कंसल्टेंट तथा मास्टर ट्रेनर द्वारा संस्थान में आपदा मित्र प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को आपदा प्रबन्धन एंव खोज–बचाव से संबन्धित सभी कार्यो के बारे में जानकारियां दी गयी। संस्थान के द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 143 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया।

तृतीय प्रशिक्षण–दिनांक–15.12.2022 से दिनांक 26.12.2022

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक– 15.12.2022 से दिनांक– 26.12.2022 तक NIM में संचालित तृतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्व सम्पंन हुआ हैं। उक्त प्रशिक्षण में निम्न विवरणानुसार कुल 135 आपदा मित्र स्वयंसेवकों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण किया गया।

Batch Number	No. of volunteers to be trained/present Trainees	Emergency Response kit (ERK) provided or not	Missing Items in kit, if any	Items received is according to Specification or not	Traveling expenses given to trainees or not by NIM (Per Person)
2 (16-12-2022 to 26-12-2022)	**1- Uttarkashi-25** (Male-18 Female-07) **2-Dehradun-29** (Male-18 Female-07) **3-Pauri Garhwal-30** (Male-26 Female-04) **4- Tehri Garhwal-18** (Male-08 Female-10) **5-Rudraprayag-15** (Male-14 Female-01) **6-Nainital-18** (Male-16 Female-02) **Total-135 (Male-110 Female-25)**	**Not provided**	NA	NA	**1- Uttarkashi- 1000.00** **2-Dehradun- 1000.00** **3-Pauri Garhwal-1500.00** **4-Tehri Garhwal-1000.00** **5-Rudraprayag-1500.00** **6-Nainital- 2520.00**

प्रशिक्षण का अनुश्रवण–जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा NIM में संचालित उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियमित अनुश्रवण किया गया। दिनांक 17.12.2022 को आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी जानकारी दी गयी तथा प्रशिक्षण का फील्ड निरीक्षण भी किया गया। दिनांक 25.12.2022 प्रशिक्षण के समापन समारोह पर प्रशिक्षणार्थियों को राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किराये की धनराशि का मास्टर ट्रेनर एवं NIM के प्रशिक्षकों के द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया।

3. आपदा मित्र किट (E.R.K.)–

दिनांक 25.12.2022 तक मै0 डिफेन्स इक्यूपर्स, देहरादून एवं NIM से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को आपदा मित्र किट के निम्न सामग्री उपलब्ध करायी गयी है–

1. रूक सैक– 117 नग
2. जूते– 150 (जोड़ी)
3. लाईटर– 150 नग
4. ट्रेकसूट– 150नग
5. गोग्लस– 150 नग

4.– ट्रेनिंग मॉड्यूल पुस्तिका–

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को पूर्व में उपलब्ध कुल 170 पुस्तिकाओं उपलब्ध करायी गयी थी जो द्वितीय प्रशिक्षण ग्रुप को उपलब्ध करायी गयी है। नई टिहरी से **58 पुस्तिका प्राप्त हुयी है**। उक्त पुस्तिकायें कम होने के कारण इस प्रशिक्षण ग्रुप को वितरित नहीं की गयी है। जो आपदा प्रबन्धन के पास उपलब्ध है।

दिनांक 03.12.2022 को तम्बाखानी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव दिखाई दिया। जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा क्यू0आर0टी0 टीम एंव फायर सर्विस को से समन्वय कर शव को निकालकर शव वाहन में जिला चिकित्सालय में भेजा गया।

दिनांक 06.12.2022 को दोपहर समय लगभग 2:50 बजे तहसील मोरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गंगाड मे एक आवासीय मकान मे आग लगने की सूचना प्राप्त हुयी। जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा तत्काल एस.डी.आर.एफ. मोरी/फायर सर्विस/पशुपालन विभाग/ पुलिस/राजस्व टीम को घटना की सूचना से अवगत कराते हुये त्वरित गति से प्रतिवादन का कार्य सम्पन्न करवाया गया। उक्त भवन पूर्ण रुप से जल कर क्षतिग्रस्त हुआ। किसी प्रकार की कोई जनहानि एंव पशुहानि नही हुयी। प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान की गयी।

दिनांक 09.12.2022 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा संचालित होने वाली न्यास पंचायत स्तर पर आपदा प्रबन्धन/वनाग्नि नियंत्रण संबंधी प्रशिक्षण एंव जागरुकता कार्यक्रम अयोजित किये जाने के सम्बन्ध में बैठक आहूत की गयी।

दिनांक 12.12.2022 को उप तहसील धौन्तरी के अन्तर्गत बड़ेथ के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा एम्बुलेंस/पुलिस/राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी गयी एंव सम्बन्धितों से समन्वय स्थापित किया गया। वाहन एक ही व्यक्ति सवार था जिसकी घाटना स्थल पर मृत्यु हो गयी।

दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 को शीतकाल के दौरान राज्य में शीत लहरी से बचाव हेतु आवश्यक तैयारियों के सम्बन्ध में सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग की अध्यक्षता में आहूत वीडियों कन्फ्रेंसिंग हेतु शासन के निदेशानुसार आवश्यक व्यवस्था कर सम्बन्धितों को अवगत कराते हुये बैठक में प्रतिभाग किया गया।

दिनांक 18.12.2022 को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वारा द्वारा परीक्षा आयोजित की गयी। जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को परीक्षा कन्ट्रोल रूम स्थापित कर तैनात नोडल अधिकारी/सेक्टर अधिकारियों से समन्वय कर परीक्षा पत्र प्राप्ति एवं परीक्षा समाप्ति तथा परीक्षा पत्र कोषागार में जमा होने तक सम्बन्धितों से निरन्तर समन्वय किया गया। उक्त अवधि में अपर जिलाधिकारी महोदय जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित रहें।

दिनांक 26.12.2022 को चार धाम यात्रा व्यवस्था बैठक के सम्बन्ध में आहूत बैठक में प्रतिभाग किया गया तथा चारधाम यात्रा 2023 की तैयारियों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया गया।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी द्वारा जनपद के 36 न्याय पंचायतों में 04 प्रशिक्षित आपदा प्रबन्धन टीम (आपदा प्रबन्धन/एस0डी0आर0एफ0/लोक निर्माण विभाग/अग्निशमन/चिकित्सा विभाग/वन विभाग) के सहयोग से प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार एक दिवसीय आपदा प्रबन्धन, वनाग्नि एवं कोविड संक्रमण के रोकथाम सम्बन्धी प्रशिक्षण/जनजागरूकता कार्यक्रम दिनांक 26.12.2022 से 10 जनवरी, 2022 तक एक दिवसीय प्रशिक्षण/जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया। ग्रामीण/राजस्व विभाग/आंगनवाडी/आशा कार्यकत्री/वनविभाग/ग्राम्य विकास/स्वास्थ्य/पुलिस/शिक्षा/लोक निर्माण विभाग/एस0डी0आर0एफ0/होमगार्ड/सेना हर्षिल/त्वरित कार्यवाही दल (DDMA) आदि विभागों के कार्मिकों सहित ग्राम प्रधान आदि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी
आपदा प्रबन्धन / वनाग्नि रोकथाम सम्बन्धी
प्रशिक्षण कार्यक्रम
जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी
दूरभाष- 01374- 222722, 222126, 1077 (टोल फ्री)
मो0- 7500337269, 7310913129

2022.12.27 13:00

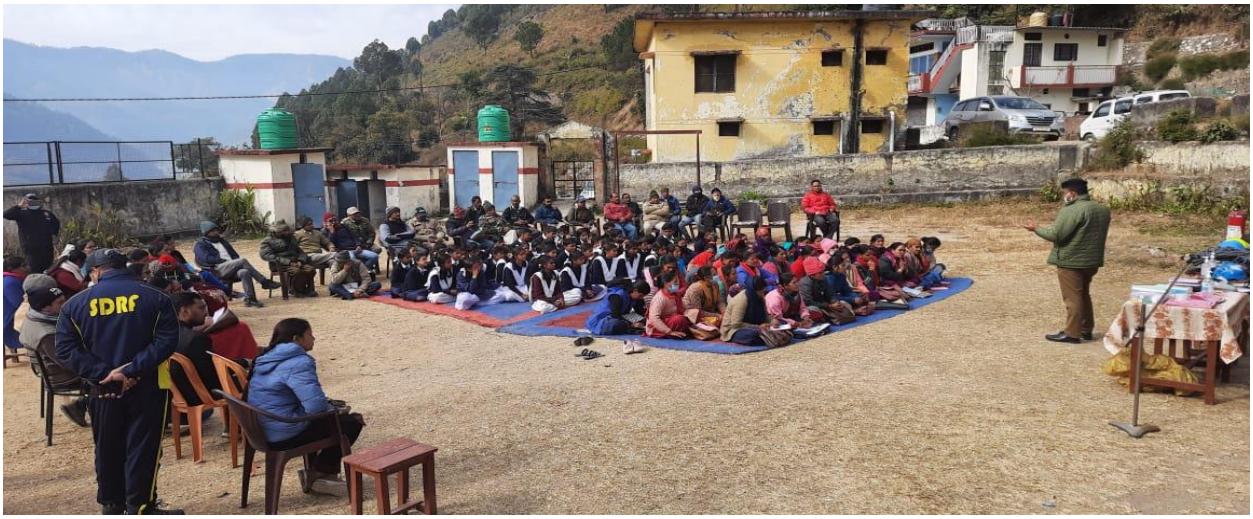
SDRF

राहत बचाव का प्रशिक्षण दिया

उत्तरकाशी : सीमांत जनपद उत्तरकाशी की सभी न्याय पंचायतों में आपदा प्रबंधन, जंगलों की आग एवं कोविड संक्रमण के प्रभावी रोकथाम को लेकर प्रशिक्षण, जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रशिक्षण के दूसरे नाकुरी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने शिरकत की। न्याय पंचायतों के संबंधित गांवों के प्रतिनिधि, महिला, युवक मंगल दलों के प्रतिनिधि व सभी इच्छुक ग्रामवासी प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर मस्तान भंडारी और शार्दुल गुसांई ने ग्रामीणों को भूकंप रोधी घर के निर्माण, आपदा (भूकंप) पूर्व तैयारी, राहत-बचाव, सामूहिक रूप से जंगलों की आग पर नियंत्रण में सहभागिता, मकानों में लगने वाली आग तथा कोविड के संक्रमण की रोकथाम व बचाव से संबंधित जानकारियां प्रदान की गई। साथ ही न्याय पंचायतों को फर्स्ट एड किट भी वितरण की गई। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कहा कि आपदा के दृष्टिगत जनपद उत्तरकाशी संवेदनशील जिला है। कहीं पर कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी सूचना सर्वप्रथम वहां के स्थानीयजनों एवं फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलती है और वही व्यक्ति पहले राहत और बचाव का कार्य करते हैं। इसलिए यह प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्रशिक्षण अभियान 10 जनवरी तक चलेगा। (जासं)

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में छठे दिन २४८ लोगों ने लिया प्रशिक्षण

उत्तरकाशी (हरि न्यूज संवाददाता/जयप्रकाश बहुगुणा) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला के निर्देशों के क्रम में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी द्वारा जनपद के 36 न्याय पंचायतों में आपदा प्रबन्धन, वनाग्नि,प्राथमिक उपचार,सी.पी.आर,आग,भूकंप रोधी भवन निर्माण विधि एवं कोविड संक्रमण के रोकथाम सम्बन्धी प्रशिक्षण/जनजागरूकता कार्यक्रम की बीते सोमवार से शुभारंभ हो गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 जनवरी, 2023 तक चलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम आपदा प्रबन्धन टीम (आपदा प्रबन्धन/एस0डी0आर0एफ0/लोक निर्माण विभाग/ अग्निशमन/ चिकित्सा विभाग/ वन विभाग) के सहयोग से संपादित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के छठे दिन न्याय पंचायत जोशियाडा विकासखंड भटवाड़ी, न्याय पंचायत भेटियारा विकासखंड डुण्डा, न्याय पंचायत तुनालका विकासखंड नौगांव में आयोजित किया गया। जिसमे लगभग 248 लोगों यथा ग्रामीण/राजस्व विभाग/आंगनवाडी/आशा कार्यकत्री/वनविभाग/ग्राम्य विकास/स्वास्थ्य/पुलिस/ शिक्षा/लोक निर्माण विभाग/एस0डी0आर0एफ0/होमगार्ड/सेना हर्षिल/त्वरित कार्यवाही दल आदि विभागों के कार्मिकों सहित ग्राम प्रधान आदि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

प्रशिक्षण में प्रतिभागियों हेतु भूकम्प/प्राथमिक उपचार/कोविड–19 संक्रमण के नियंत्रण सम्बन्धी पैम्पलेट तैयार कर वितरित किये गये।

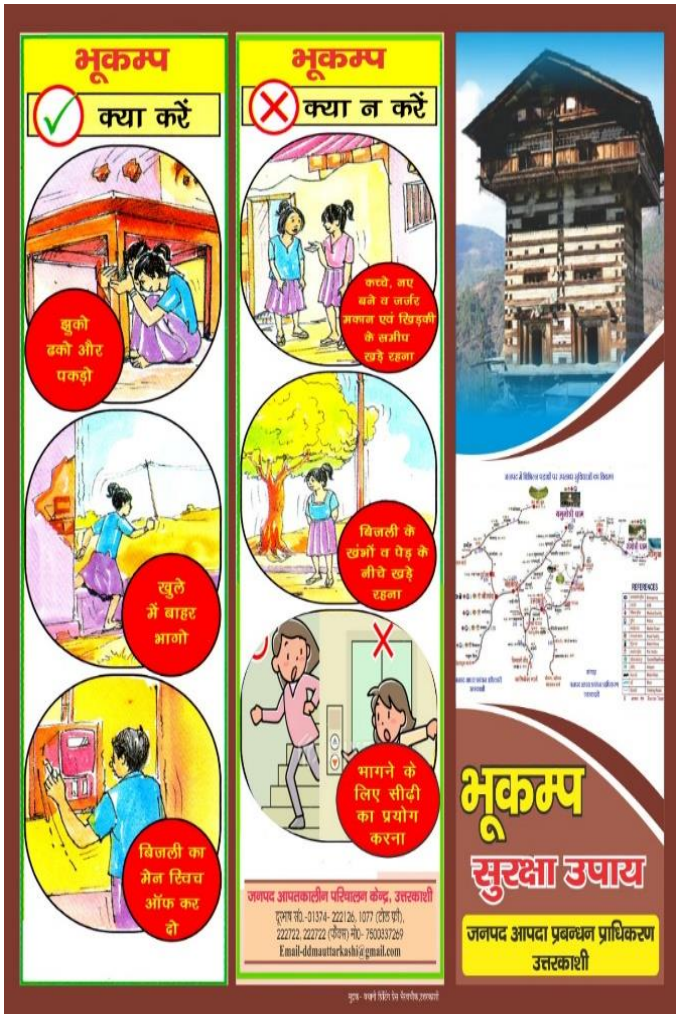

भूकम्प

क्या करें- क्या न करें?

भूकम्प से पहले अपने घर व गांव के लिए क्या करें?

- भूकम्परोधी मकानों का निर्माण करें।
- भूकम्प पश्चात एकत्रित होने के लिए अपने घरों को समीपवर्ती खुले स्थान का चयन करें।
- खाने का जरूरी सामान, नगदी, पानी, मौसम के अनुसार कपड़े कम्बल, टार्च, मोमबत्ती, जूते, दस्ताने, दवायें, सैल से चलने वाला रेडियो, प्राथमिक उपचार सामग्री, आवश्यक दस्तावेज एवं पहचानपत्र, प्लास्टिक सीट, रेनकोट, रस्सी, सीटी, हमेशा तैयार रखें।
- अपने परिवार तथा समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ भूकम्प से होने वाले खतरों तथा उनसे बचने के उपायों के बारे में विचार विमर्श करें।
- भारी वस्तुओं को हमेशा नीचें रखें, बिस्तर के उपर लटके सामान जैसे फोटो, शीशा आदि को हटाकर अन्य स्थान पर रखें जिससे किसी व्यक्ति को हानि न पहुंचे।
- मकान की दीवार या छत में कोई दरार हो तो ठीक करा लें।
- ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर सावधानी पूर्वक रखें।

भूकम्प आने पर क्या करें?

भूकम्प सोचने-समझने एवं प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देता। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें पता हो कि भूकम्प आने पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या आवश्यक है। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये भूकम्प के समय की गयी उचित प्रतिक्रिया हमारे और हमारे प्रियजनों की सुरक्षा के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए हम सभी के द्वारा इन बिन्दुओं को आत्मसात किया जाना अत्यन्त आवश्यक है:-

- जहाँ है वहीं रहें, संतुलित रहें। हड़बड़ी घातक हो सकती है।
- यदि घर के अन्दर हैं तो गिर सकने वाली भारी वस्तुओं से दूर रहें।
- खिड़कियों से दूर रहें, शीशे के टूटे टुकड़े क्षति पहुंचा सकते है।
- मजबूत मेज के नीचे छुपे या अन्दरूनी दीवार या बीम के सहारे खड़े रहें।
- सिर पर लगी चोटें ज्यादा घातक होती हैं इसलिए चेहरे व सिर को हाथों की सुरक्षा प्रदान करें व कम्पन रूकने तक सिर को हाथों की सुरक्षा में रखें।
- अगर घर से बाहर हैं तो खुली जगह तलाशें। भवनों, पुलों, पेड़ों बिजली के खम्भों व तारों से दूर रहें।
- अगर वाहन में हैं तो रूकें और अन्दर ही रहें।
- भूकम्प भूस्खलनों को जन्म दे सकता है, अत: सतर्क रहें।
- अफरा-तफरी न मचायें तथा पुन: भूकम्प के झटकों के प्रति सचेत रहें।

भूकम्परोधी निर्माण

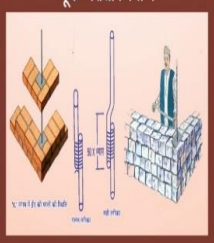

भूकम्प सुरक्षा व हमारी तैयारी

- क्षेत्र से बाहर के किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार को चुनें, जिससे अलग हुए परिवार के सदस्य भूकंप के बाद अपने ठिकाने एवं स्थिति की रिपोर्ट करने हेतु संपर्क कर सकें।
- प्रत्येक कमरे में सुरक्षित स्थान को जानें: मजबूत टेबल, डेस्क के नीचे या अंदर की दीवारों व बीम के साथ।
- घर के अन्दर खतरों को जानें: खिडकियां, दर्पण, लटकी हुई वस्तुएं, चिमनिया तथा लंबे असुरक्षित फर्नीचर व घर का कमजोर हिस्सा।
- आपातकालीन फोन नंबरों की एक सूची रखें।
- भूकम्प के बाद पुन: आने वाले झटकों के लिए तैयार रहें।
- जानवरों को इन्द्रियाँ कई बार भूकम्प के खतरे को अपेक्षाकृत काफी पहले भाँप लेती है, इसलिए पालतू जानवरों के असंतुलित व्यवहार, बैचेनी व आक्रमकता को खतरे की पूर्व सूचना के रूप में लें एवं सतर्क रहें।

आवश्यक सामग्री

विद्यालय सुरक्षा

विद्यालय भवनों का भूकम्परोधी भवन निर्माण विधि से बना होना सुनिश्चित किया जाये। भूकम्प सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालयों में नियमित मॉक अभ्यास करते हुए स्कूल सुरक्षा योजना तैयार की जानी होगी तथा स्कूल में भूकम्प हेतु खतरों को चिन्हित करते हुए उनके निदान के बारे में विचार किया जाना आवश्यक है।

भूकम्प से बचने के लिये इन दस नियमों को याद रखें।

घबराएं नहीं, धैर्य से काम लें

पहला नियम:- अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा

भूकम्प का पहला बड़ा झटका लगभग एक मिनट तक रहता है। उस दौरान अपने सिर को गिरती हुई चीजों से बचाने के लिये किसी मजबूत फर्नीचर जैसे कि पलंग, मेज इत्यादि के नीचे छुप जाएँ, एक हाथ से सिर को ढकें और दूसरे हाथ से फर्नीचर को पकड़ें।

दूसरा नियम:- भूकम्प के झटके महसूस होते ही रसोई गैस व बिजली के उपकरण बन्द कर दें और यदि आग लग जाए तो उसे तुरन्त बुझाएँ।

आग बुझाने में आपकी सतर्कता किसी बड़ी आपदा को टाल सकती है। रसोई गैस के सिलेण्डर को हर बार उपयोग के पश्चात् और रात में सोने से पहले बन्द करने का नियम बना लें।

तीसरा नियम:- भूकम्प के दौरान तुरन्त घर से बाहर ना भागें।

भूकम्प महसूस होते ही बाहर भागना खतरनाक है। अपने आसपास ऊपर से गिरती हुई वस्तुओं का सतर्कता से मुआयना करें और संयम से काम लें।

चौथा नियम :- दरवाजे खोल दें ताकि भूकम्प के झटके रूकने के बाद आप आसानी से बाहर निकल सकें।

तीव्र भूकम्प के कारण खासकर सीमेन्ट कंक्रीट के मकानों के दरवाजे जाम हो सकते हैं और आप कमरें में बन्द हो सकते हैं। इससे बचने के लिए भूकम्प के झटके महसूस होते ही जल्दी से दरवाजा खोलें ताकि बाहर जाने का रास्ता बना रहे।

पांचवा नियम:- भूकम्प के समय यदि आप बाहर खड़े हो तो अपने सिर को गिरती हुई खतरनाक चीजों से बचाऐं एवं उनसे दूर रहें।

टूट कर गिरने वाले प्लास्टर, ईंट पत्थरों, खिड़की के टूटे हुए कांच के टुकड़े, पेड़, बिजली के खम्भे, तार इत्यादि से दूर रहें। किसी सुरक्षित मकान, खुली जगह या पार्क में आश्रय लें।

छठा नियम :- यदि आप किसी सार्वजनिक स्थल जैसे कि सिनेमाघर, बाजार, मॉल आदि में हैं तो वहां के सुरक्षा कर्मचारियों के दिशा निर्देशों का पालन करें।

भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कुछ लोग घबरा कर भगदड़ मचा सकते हैं। भगदड़ से बचें, घबरायें नहीं और संयम बनाये रखें।

सांतवा नियम:- यदि आप किसी वाहन में हैं तो, सड़क की बाईं ओर अपने वाहन को रोककर गाड़ी से बाहर निकल जाएं तथा एम्बुलेंस व अग्नि शामक वाहन को जाने के लिए रास्ता छोड़ दें।

केवल अपनी सुविधा और सुरक्षा ध्यान में रखकर वाहन चलाने से ट्रैफिक व्यवस्था और बिगड़ सकती हैं वाहन चलाते समय कार में लगे रेडियो को सुनें और तदनुसार कार्य करें।

आठवां नियम:- सुरक्षित स्थल पर जाने के लिये वाहन की बजाए पैदल जाएं एवं केवल जरूरत की चीजें साथ रखें।

सुरक्षित स्थल पर जाने के लिये, पैदल ही निकलें। रास्तों पर ज्यादा गाड़ियाँ चलने से ट्रैफिक जाम हो सकता हैं जिससे बचाव और राहत कार्यों में परेशानी हो सकती है। निकलते समय जरूरत की चीजें ही साथ लें।

नौवां नियम:- अफवाहों पर ध्यान ना दें। सही जानकारी प्राप्त करें और उसके अनुसार कार्य करें।

सही जानकारी रेडियो, टेलीविजन, अखबार अथवा अपने पास के पुलिस स्टेशन, राजस्व कर्मियों, नगर पालिका/पचांयत या अग्निशमन कार्यालय से प्राप्त करें।

दसवां नियम:- आपदा के लिये हमेशा तैयार रहें।

आपदा की पूर्व तैयारी द्वारा आप स्वयं की, अपने परिवार की एवं समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये, अपने परिवार की जरूरतों के अनुसार निम्न लिखित वस्तुएं हमेशा तैयार रखें:-

1. पीने का पानी।
2. खाद्य सामग्री एवं बच्चों के लिये पाउडर दूध।
3. प्राथमिक उपचार सामग्री एवं अन्य आवश्यक दवाईयां।
4. पॉकेट ट्रांजिस्टर, फ्लैश टॉर्च, बैटरियाँ।
5. रूपये व अन्य कीमती वस्तुऐं, बीमार व्यक्तियों की दवायें, स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी व अन्य जरूरी कागजात, प्रमुख टेलीफोन नम्बर इत्यादि।

वनाग्नि से बचाव हेतु उपाय

क्या न करें

- वनों के समीप स्थित खेतों में सावधानीपूर्वक आड़ा जलायें तथा आग को पूर्णत: बुझाकर ही खेतों को छोड़े।
- वनों में जलती तीली, बीड़ी, सिगरेट न फेंके।
- जानवरों हेतु घास प्राप्ति के लिये आग न लगायें, इससे कालान्तर में मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है एवं पोषक तत्व रहित घास उत्पन्न होती है।
- विवाह समारोह में वनों के समीप पटाखों का प्रयोग न करें।
- घरों व खेतों के आस-पास ज्वलनशील पदार्थ घास-फूस, सूखा कूड़ा करकट एकत्र न होने दें।

क्या करें

- वनाग्नि की घटना घटित होने पर तत्काल इसकी सूचना निकटस्थ वन कर्मचारी, रेंज कार्यालय, क्रू स्टेशन या मास्टर कंट्रोल रूम को दें।
- घटना स्थल पर पड़ी ऐसी चीजों को हटाने का प्रयास करें जिससे आग फैल जाने का खतरा हो।
- मानव, पशुधन आदि की सुरक्षा सर्वप्रथम करें।
- वनाग्नि को नियंत्रित करने में वन विभाग के कर्मचारियों का सहयोग करें।

वैधानिक चेतावनी

- वनों में आग लगाना भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तरांचल संशोधन 2001) की धारा 26(1) ख, ग के अनुसार दण्डनीय अपराध है।
- ऐसा करने पर 2 वर्ष का कारावास या 5000.00 (पांच हजार) रूपये तक का जुर्माना या दोनों ही प्रकार से दण्डित किया जा सकता है।
- अपराध की पुनरावृत्ति करने पर 2 वर्ष का कारावास, 5000.00 (पांच हजार) से 20000.00 (बीस हजार) रूपये तक का जुर्माना या दोनों की प्रकार से दण्डित किया जा सकता है।

कार्यालय :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
फोन:- 01374-222444
ई मेल:- dfouttarkashi_fd@gmail.com

उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी अन्तर्गत स्थापित क्रू-स्टेशनों के महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर

क्र0 सं0	रेंज का नाम	क्रू-स्टेशनों का नाम	प्रभारी नाम व मो0न0
1	बाड़ाहाट रेंज	साल्ड	श्री प्रीतम सिंह चौहान, वन दरोगा 8192812736
		कोटबंगला	श्री सुभाष अवस्थी, वन दरोगा 9690273287
		गजोली/कल्डियाणी	श्री लाल सिंह महर, वन दरोगा 7500666974
		अगोडा	श्री महाराज सिंह बिष्ट वन दरोगा 9627530406
		गंगोरी	श्री कुलवीर सिंह कैन्तुरा वन दरोगा, 9639621813
		गणेशपुर/गवाणा	श्री कीर्ती मिस्त्री, वन दरोगा 9639143935
		मनेरी	श्री पिंगल दास, वन दरोगा, 9458961431
2	मुखेम रेंज	सौरा	श्री भरत सिंह पंवार वन दरोगा 9837727629
		जामक	श्री भरोसाराम गैरोला, उप वन क्षेत्राधिकारी 9639619634
		कोटियालगांव	श्री महावीर सिंह खरोला, उपराजिक 7500250979
		घण्डियालधार	श्री ईश्वरी लाल, वन दरोगा 9837507314
		कुटेटी	श्री कैलास सेमवाल वन दरोगा 9548731405
		धौन्तरी	श्री प्रेम सिंह गुनसोला, वन दरोगा 9458328443
		चूलीखेत	श्री वीर सिंह खरोला, वन दरोगा 9411506166
		सेमा	श्री बलवीर सिंह पयाल, वन दरोगा 7088773273
3	टकनौर रेंज	भटवाड़ी	श्री नवीन चन्द्र भटट, वन दरोगा 9760334959
		संगलाई/भुक्की	श्री जगदीश लाल, वन दरोगा 9675075996
		गंगनानी/गरमकुण्ड	श्री दिगम्बर प्रसाद खण्डूड़ी, वन दरोगा 9639251052
		सिल्ला	श्री अब्बल लाल, वन दरोगा 9368345689
		सोनगाड	श्री केन्द्र सिंह पवांर, वन दरोगा 9927949291
4	गंगोत्री रेंज	गंगोत्री	श्री अब्बल सिह, वन दरोगा 9897868781
		भैरोंघाटी	श्री राहुल पंवार, वन दरोगा 8476067007
		हर्शिल	श्री जोगेन्द्र सिह पंवार, वन दरोगा 7819933936
		सोनगाड	श्री धर्मवीर, वन दरोगा 9520003116
5	डुण्डा रेंज	बन्दरकोट	श्री किर्ती लाल, वन दरोगा 8755359921
		नाकुरी	श्री देवीनारायण, उपराजिक 8449274462
		डुण्डा	श्री अरविन्द सिलवाल, वन दरोगा 9184318088
		चौकीढगार	श्री हेमराज सिंह मटूड़ा, वन दरोगा 9184318088
		बैजकोट	श्री मंगल सिंह गुनसोला, वन दरोगा 8126303904
		फोल्ड	श्री संतान सिंह रावत, वन दरोगा 8755662372
		चमियारी	श्री उत्तम सिंह रावत, उपराजिक 7500667985
6	धरासू रेंज	धरासू	श्री हुकम सिह नेगी, वन दरोगा 7060894538
		चिन्यालीसौड	श्री केदार सिह कलूडा, वन दरोगा 9456528502
		मडकोट/कवागडडी	श्री पूर्णानन्द सेमल्टी, वन दरोगा 8979886103
		सिलक्यारा	श्री धूरत सिह चौहान, वन दरोगा 9634288949
		बडेथ	श्री रमेश चन्द्र देवला, वन दरोगा 7895851138
		बणगॉव	श्री बुद्वि सिह रावत, वन दरोगा 9520217114
		दिवारीखोल	श्री विकम सिह बिष्ट, वन दरोगा 9917171243
		पत्थरखोल	श्री विकम सिह बिष्ट, वन दरोगा 9917171243
		पोखरीसौड	श्री राम कृष्ण सिह राणा, वन दरोगा 7037196443

मास्टर कन्ट्रोल रूम- श्री जगदीश चन्द्र सुमन, उप वन राजिक 8057453465

दिनांक 28.12.2022 को को समय प्रातः 2:19 बजे जनपद उत्तरकाशी के समस्त तहसील क्षेत्रान्तर्गत भूकम्प झटके महसूस किये गये। जनपद के समस्त तहसीलदार/थाना/पुलिस चौकियों/राजस्व उप निरीक्षक से भूकम्प से क्षति की सूचना प्राप्त की गयी। समस्त थाना/तहसीलान्तर्गत भूकम्प से किसी प्रकार के क्षति की सूचना प्राप्त नही हुयी। तहसील भटवाडी में अवस्थित मनेरी/जोशियाडा बॉध से भूकम्प से क्षति की सूचना प्राप्त की गयी। उक्त बॉधों में भूकम्प से किसी प्रकार की क्षति की सूचना प्राप्त नही हुयी। इस प्रकार जनपद में भूकंप से किसी प्रकार की क्षति नही होने के सम्बन्ध मे आख्या शासन को प्रेषित की गयी।

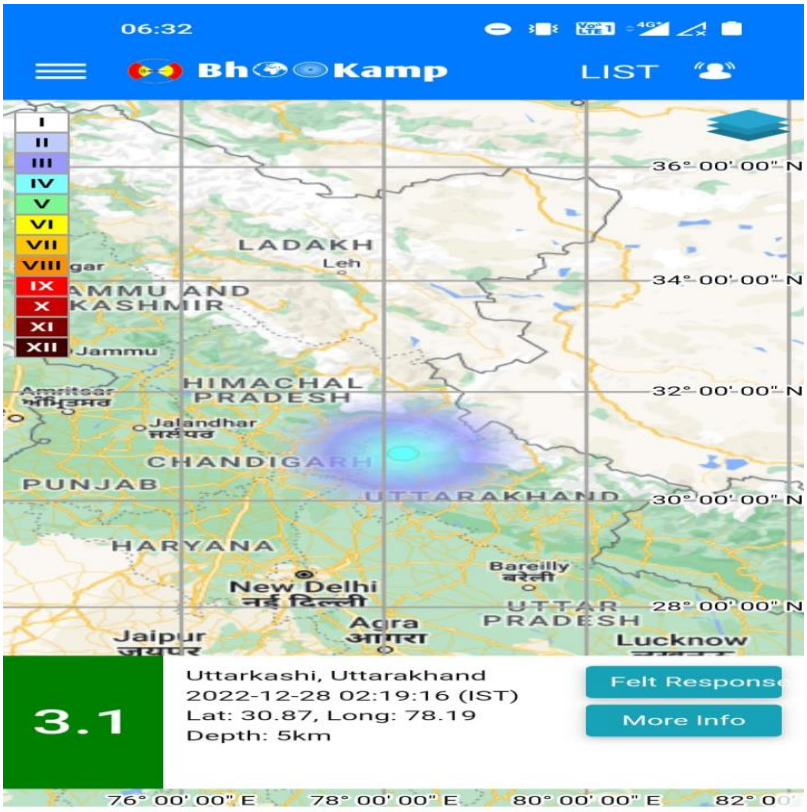

<u>भारतीय मौसम विभाग (IMD) नई दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार भूकम्प का विवरण :–</u>

- भूकम्प का परिमाण – 3.1(रिक्टर पैमाने पर)
- अक्षांश/Latitude – 30.87° N
- देशान्तर/Longitude – 78.19° E
- समय– 2:19 AM बजे।
- भूकम्प की गहराई पृथ्वी की सतह से 05 कि0मी0 नीचे थी।
- भूकम्प का केन्द्र – जनपद के तहसील बडकोट के अन्तर्गत स्यालना और सरनोल के जंगल में बताया गया।

<u>आई0टी0 भवन में स्थापित ड्रोन एप्लिकेशन रिसर्च सेन्टर द्वारा ड्रोन के क्षेत्र में अधिक से अधिक</u> जागरूकता हेतु दिनांक 29 एवं 30 दिसम्बर, 2022 को आई0टी0 पार्क, देहरादून में प्रशिक्षित ड्रोन पायलटो हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जनपद में प्रशिक्षित ड्रोन संचालकों को उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करवाया गया। उक्त प्रतियोगिता में जनपद का द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया।

इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर आहूत विभिन्न बैठकों में सम्बन्धितों से समन्वय कर आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।

(देवेन्द्र सिंह पटवाल)
आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

<u>प्रतिलिपिः–</u> निम्नाकिंतों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अधिशासी निदेशक, यू0एस0डी0एम0ए0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
उत्तरकाशी।